बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि.प्रा. (III) यो.–04/2017– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय– विभागान्तर्गत नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर में वर्ष 2017–18 से सत्रारंभ करने के लिए संस्थान के प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, वर्गकक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं Language lab. में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत कुल रू. 80,00,000=00 (अस्सी लाख रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2017–18 में संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–506, दिनांक 28.02.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर में वर्ष 2017–18 से सत्रारंभ करने के लिए संस्थान के प्राचार्य कक्ष, कार्यालय, वर्गकक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं Language lab. में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 80,00,000=00 (अस्सी लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि राजकीय पोलिटेकनिक, कैमुर को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परंतु, संस्थान द्वारा उक्त विमुक्त कुल राशि प्रत्यर्पित कर दी गई।

2. राज्य सरकार ने उक्त प्रत्यर्पित राशि कुल रू. 80,00,000=00 (अस्सी लाख रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2017–18 में संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त विमुक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104 –बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0109–पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय तथा 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्षो में उपबंधित राशि से क्रमशः रू. 20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र तथा रू. 60,00,000=00 (साठ लाख रूपये) मात्र विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021040109 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

5. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, बक्सर से की जायेगी।

6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।

8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या-- वि०प्रा० (III) यो०–04/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो०–04/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो०–04/2017– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बक्सर सह राजकीय पोलिटेकनिक, कैमुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (III) यो०–04/2017– 2350 /पटना, दिनांक– 21.9.017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/09/17
सरकार के उप सचिव

20/9/17